उत्तर प्रदेश शासन
प्रशासनिक सुधार अनुभाग-1
संख्या- 27/2016/1366/43-1-2016-25(4)/2014
लखनऊ : दिनांक 17 अक्टूबर, 2016

कार्यालय ज्ञाप

वेतन समिति (2008) के दसवें प्रतिवेदन (भाग-6) में प्रशासनिक सुधार विभाग के सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियों पर लिए गये निर्णयों के कार्यान्वयन से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-वे0आ0-02-2015/दस-54(एम)2008 टी0सी0, दिनांक 28 नवम्बर, 2011 के क्रम में राज्यपाल महोदय, राजकीय कार्यालय निरीक्षणालय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में अधीक्षक निरीक्षक एवं निरीक्षक के पद को संविलीन कर निरीक्षक पदनाम रखते हुए वर्तमान में अनुमन्य वेतन बैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4600/- यथावत बनाये रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त के क्रम में " उत्तर प्रदेश कार्यालय निरीक्षण सेवा नियमावली, 1990" में संशोधन की कार्यवाही शीध्रतिशीघ्र की जाये।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-वे0आ0-2-2292/दस-2015, दिनांक 06 अक्टूबर, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

एस0एन0 शुक्ल
प्रमुख सचिव।

संख्या- 27/2016/1366(1)/43-1-2016 तद्दिनांक।
प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी-1 एवं 2 तथा आडिट-1 एवं 2, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1 एवं 2, उ0प्र0 सचिवालय।
3- निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरों वित्त विभाग, उ0प्र0 सचिवालय लखनऊ।
4- संयुक्त निदेशक, प्रशासनिक सुधार निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
5- मुख्य निरीक्षक, राजकीय कार्यालय निरीक्षणालय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
6- कोषाधिकारी, इलाहाबाद।
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9 उ0प्र0 सचिवालय।
8- अनुभाग अधिकारी (लेखा) प्रशासनिक सुधार विभाग।
9- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

लुटावन राम
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in